सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14/12/17 पक्षकार उपस्थित

बहस उभय पक्षकार सुनी गई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि वर्तमान जमाबंदी में उभय पक्षकार के नाम दर्ज है तथा अप्रार्थीगण नाजायज रूप से जमीन पर कब्जा कर रखा है। इकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 10.01.2011 को रद्द करते हुए स्वीकार किया जावे।

वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी भंवर सिंह, कुम्भसिंह ने 100/- रु. के स्टाम्प पर नोटेरी इकरारनामा दिनांक 9/5/79 को 18000/- रु. लेकर उक्त अप्रार्थीगण को बेचान कर दी तथा तब से लेकर आज दिनांक तक उक्त अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है तथा बिजली व पानी के कनेक्शन भी उक्त अप्रार्थीगण के नाम से है। उक्त जायदाद पर अप्रार्थीगण ने अपने रहवासी मकान भी बना लिये है पुरानी गिरदावरी में भी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है इकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 10.01.2011 को खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी ने मय फर्द शामिल दस्तावेज पेश किये।

उभय पक्षकार की बहस पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी पक्ष द्वारा अप्रार्थी पक्ष को नोटेरी इकरारनामा बेचान किया गया उक्त है तब से लेकर आज दिनांक तक अप्रार्थी पक्ष का ही कब्जा काश्त है इकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 10-01-2011 का कोई औचित्य नहीं रह जाता है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 10-01-2011 को अपास्त किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाकर पत्रावली [illegible] बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner